मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक: 1057/आर. /डीएमसी/डीएमसी/चार/2017 भोपाल दिनॉक 21 अगस्त 2017
प्रति,

कलेक्टर एवं उपाध्यक्ष,
जिला खनिज प्रतिष्ठान,
सिंगरोली/अनूपपुर/सतना/उमरिया/छिंदवाड़ा/कटनी,
रीवा/शहड़ोल/बैतूल/बालाघाट/दमोह/नीमच/पन्ना,
सीधी/जबलपुर/ग्वालियर/धार/सागर/झाबुआ/छतरपुर,
नरसिंहपुर/अलीराजपुर, मध्यप्रदेश ।

विषय :— मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के संबंध में निर्देश ।

000

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 (बी) की उप धारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठिान नियम 2016 लागू किये गये हैं। यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनॉक 28—07—2016 को अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों के प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

(1) उपरोक्त नियमों के नियम—6 में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की मार्गदर्शीकी के अनुरूप प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना है । यह प्राथमिकतायें नियम—13 में दर्शितानुसार हैं । अतः जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत प्राप्त राशि में से न्यूनतम 60 प्रतिशत का उपयोग उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा शेष 40 प्रतिशत राशि इन नियमों में दर्शित अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिये किया जाये ।

(2) जिले के आगामी पॉच वर्षो के लिये भावी योजना (वर्ष 2016—17 से लागू) तैयार की जाये तथा उसे अनुशंसा सहित अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाये ।

(3) वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार कर अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय समिति को भेजी जाये ।

(4) जिला खनिज प्रतिष्ठान संबंधी लेखों का नियमानुसार उचित रीति से संधारण किया जाये ।

(5) राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात सदस्य सचिव, जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा उपाध्यक्ष के माध्यम से मण्डल के अध्यक्ष से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाये। ₹ 10.00 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिये राज्य शासन द्वारा पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

(6) प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित कार्यो को शासकीय विभागों, अभिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से, जो ऐसे कार्यो के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, निष्पादित कराया जाये ।

//2//

(7) जिला कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जिला खनिज प्रतिष्ठान से स्वीकृत कार्यो एवं प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वीकृत कार्यो में कोई दुहराव न हो । ऐसी योजनाओं को संचालित नहीं किया जाये, जिस पर कोई आवर्ती व्यय यथा पदसृजन/संविदा दायित्व सन्निहित हों ।

(8) कार्यो की प्रगति का नियमित पयर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाये ।

(9) राज्य सरकार तथा मण्डल द्वारा अधिकथन किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार ही प्रतिष्ठान की निधियों का विनिधान किया जाये ।

(10) नियम–7 (3) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका समिति की बैठक आयोजित की जाये।

(11) नियम–12 में दर्शितानुसार प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की पहचान संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर इसे वेब पोर्टल में अंकित किया जाये ।

(12) जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि के उपयोग के संबंध में नियम 13(2) का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(13) नियम 13(2)(ड.) के अनुसार राज्य खनिज निधि में राशि हस्तांतरित की जाये ।

(14) अनुसूचित क्षेत्रों के लिये नियम 15(एक) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(15) नियम–18(दो) के प्रावधानों के अनुरूप वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाये एवं वेबसाइट पर अपलोड किया जाये ।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(अजीत कुमार)
संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

पृ.कं. 1058 /आर. /डीएमसी/डीएमसी/चार/2017 भोपाल दिनॉक 21 अगस्त 2017

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
2. सचिव, खनिज विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, संचालनालय, भोपाल ।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला खनिज अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

(रूपेश पठवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

संलग्नक—1

जिले का नाम :— ....

कमॉक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के दौरान जिले को प्राप्त होने वाली/संभावित राशि (₹ लाख में)	कुल कार्यो की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान लिये गये कार्यो की कुल लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5
1	2016—17			
2	2017—18			
3	2018—19			
4	2019—20			
5	2020—21			
	कुल —			

<u>नोट</u> :— वित्तीय वर्ष 2016—17 के दौरान जिले को जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत प्राप्त राशि (जिले का हिस्सा) को आगामी वर्षो हेतु संभावित राशि माना जाए ।

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2016–17

क्रमॉक	कार्य का नाम	कार्य की लागत (राशि ₹ लाख में) (प्रथम स्टेज–I प्राक्कलन के अनुसार)	क्रियान्वयन एजेन्सी (प्रशासकीय विभाग)	कार्य प्रारंभ होने का दिनॉक	कार्य पूर्ण होने की समय सीमा	कार्य पूर्ण होने का दिनॉक
1	2	3	4	5	6	7
	योग –					

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2017–18

क्रमॉक	कार्य का नाम	कार्य की लागत (राशि ₹ लाख में) (प्रथम स्टेज–I प्राक्कलन के अनुसार)	क्रियान्वयन एजेन्सी (प्रशासकीय विभाग)	कार्य प्रारंभ होने का दिनॉक	कार्य पूर्ण होने की समय सीमा	कार्य पूर्ण होने का दिनॉक
1	2	3	4	5	6	7
	योग –					

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2018–19

क्रमॉक	कार्य का नाम	कार्य की लागत (राशि ₹ लाख में) (प्रथम स्टेज–I प्राक्कलन के अनुसार)	क्रियान्वयन एजेन्सी (प्रशासकीय विभाग)	कार्य प्रारंभ होने का दिनॉक	कार्य पूर्ण होने की समय सीमा	कार्य पूर्ण होने का दिनॉक
1	2	3	4	5	6	7
	योग –					

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2019–20

कमॉक	कार्य का नाम	कार्य की लागत (राशि ₹ लाख में) (प्रथम स्टेज–I प्राक्कलन के अनुसार)	कियान्वयन एजेन्सी (प्रशासकीय विभाग)	कार्य प्रारंभ होने का दिनॉक	कार्य पूर्ण होने की समय सीमा	कार्य पूर्ण होने का दिनॉक
1	2	3	4	5	6	7
	योग –					

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2020–21

कमॉक	कार्य का नाम	कार्य की लागत (राशि ₹ लाख में) (प्रथम स्टेज–I प्राक्कलन के अनुसार)	कियान्वयन एजेन्सी (प्रशासकीय विभाग)	कार्य प्रारंभ होने का दिनॉक	कार्य पूर्ण होने की समय सीमा	कार्य पूर्ण होने का दिनॉक
1	2	3	4	5	6	7
	योग –					